भारत में दलित अस्मिता और चुनौतियाँ

डॉ. तिहारू राम बघेल
पीएच.डी., नेट, सेट

भूमिका :–

भारत में दलित अस्मिता पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर का चिंतन सर्वोपरि है। 'मूकनायक' पत्रिका के पहले अंक में छपे उनके लेख मुझे याद आ रहे हैं, जिसे बाबा साहेब ने अपने विचारों को जन–जन तक पहुंचाने के लिए प्रकाशित किया था। ''हिन्दु समाज कई मंजिला इमारत की तरह है। जिसके भीतर जाने के लिए न कोई सीढ़ी है, न ही बाहर आने के लिए कोई द्वार ..... । यह समाज एक ओर यह विश्वास करता है कि जड़ पदार्थों में भी भगवान हैं, परन्तु दुसरी ओर यह भी कहता है कि कुछ लोग, जो उसी के अपने अंग हैं, छुने के योग्य भी नहीं हैं।

वर्ण व्यवस्था कायम रहे, रट लगाये हुए हिन्दु समाज का अभिजात वर्ग अंग्रेजों और मुसलमानों से हांथ मिलाकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते थे, जबकी उनके अपने ही धर्म के एक वर्ग का स्पर्श उन्हें दूषित कर देता था।[1]

दलित अपनी अस्मिता को बचाये रखने के लिए तब भी संघर्षरत थे और आज भी है, न जाने कब भारत में समतामूलक समाज की निर्माण हो पायेगा। दलित अस्मिता को बचाये रखपाना सबसे बड़ी चुनौति है। क्योंकि आज राष्ट्रवाद को नई ढ़ग से परिभाषित किया जा रहा है। संविधानिक प्रदत्त लोकतांत्रिक व्यवस्था दलित अस्मिता के लिए अचुक हथियार है, को विकृत करने की मानसिकता भी परिलक्षित हो रही है। दलित अस्मिता की रक्षा के लिए संविधान और संविधान की मूलढ़ांचे की रक्षा मुख्यचुनौतियाँ हैं।

दलित अस्मिता का विमर्श :–

दलित अस्मिता में अन्तर्निहित है समानता, न्याय और मानवता। दलित अस्मिता के पुरोधा आधुनिक भारत के निर्माता डॉ. अम्बेडकर आजन्म जुझते रहे। वे हिंसक, उद्दण्ड और आडंबर में लिप्त लोगों का कड़ा विरोध करते थे। उनके कार्यों में कोई न कोई उद्देश्य अवस्य होता था।

आज इक्कीसवीं सदी में, आजादी के 71 वें साल में सबसे बड़ी सवाल यह है कि क्या भारत पूर्णरूपेण, धर्म निरपेक्ष बन पाया है ? क्या दलित अस्मिता निमूल शंकारहित है ? क्या हम मन, वचन और कर्म से दलित अस्मिता को आत्म–सात कर पाये है ? दलित अस्मिता पर क्या सवर्णो का सम्मान जनक दृष्टिकोण है ?

ये ऐसे सवाल हैं जो प्रत्येक दलितों के मन में उभारता है, आत्मा को बार–बार कौन्धता है। संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के अभाव में अधुरा सा लगता है। स्पष्ट कहूं तो कहूंगा कि हमें कानूनन मौलिक अधिकार मिला जरूर है लेकिन सवर्ण इसे आत्मा से मानने को तैयार नहीं है, फिर दलित को सम्मान देने का सवाल ही नही उठता। दलित उत्पीड़न को कानूनन रोक पाना संशयित है, जब तक वर्ण व्यवस्था पूर्णरूपेण विश्रृखलित न हो पाये, साथ ही संवर्ण स्नेहपूर्वक न अपनाये क्योंकि किसी के आत्मा और मन पर किसी भी देश का कानून लागू नहीं हो सकता। फिर दलित अस्मिता को कैसे बचाया जाय ? सवर्ण वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था यथावत रखना चाहते हैं, क्योंकि वे सर्वोच्चता के स्थान से नीचे उतरना ही नहीं चाहते। वे किसी दलित को अपनी बराबरी के स्थान पर देखना पसंद नहीं करते। उनकी आत्मा और मन कौन्ध जाति है जब हम समाजिक समानता न्याय और मानवता की बात करते हैं।[2]

दलित अस्मिता एवं चुनौतियाँ :–

चीर अतीत काल से शिक्षा और समाजिक अधिकारें से वंचित किये जाने के कारण दलित आज भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पाये है। आगे न जाने कितनी संघर्ष अभी बाकी है। मैं समझता हूँ कि आज दलित अस्मिता के लिए अग्रलिखित मुख्य चुनौतियाँ हैं – जिनकी केवल मात्र एक राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति ही हल है, अन्यत्र कोई नहीं। वे चुनौतियां हैं – गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थय, धार्मिक जड़ता, सामाजिक समरस्ता का अभाव और अवसर की उपलब्धता (असमानता) हॉल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 73% संसाधन मात्र 1% लोगों के पास है शेष 27% संसाधनों पर 99% लोगों की निर्भरता है। इससे गरीबी की भयावहता स्वमेव स्पष्ट है। वही सात हजार करोड़पति भारत छोंड़कर विदेशों में चले गये है, आखिर कुछ तो वजह होगी।[3]

भारत की शिक्षा नीति से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक नेतृत्वकर्ता शिक्षा का सर्वव्यापीकरण करने की मानसिकता में नहीं दिखता। वह यह नहीं चाहता कि निम्न और मध्यम वर्ग के लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करें क्योंकि उच्च शिक्षा के सर्वव्यापीकरण होने से धर्म और जाति व्यवस्था का अस्तित्व खतरे में पढ़ जायेगा, तब लोगों को मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाना सम्भव नहीं होगा। भारत की शिक्षा नीति वोट बैंक की नीति पर आधरित है, तभी तो संविधानिक उपबंध जिसमें सकल घरेलू उत्पाद का न्यूनतम 6% शिक्षा पर निर्धारित है जिसे अभी तक किसी भी राजनीतिक नेतृत्व ने पूर्ण नहीं किया। हॉल में जारी केन्द्रीय बजट–2018 में पिछले बजट में निर्धारित 45000 करोड़ रूपये से घटाकर महज 25000 करोड़ किया गया है। इससे शिक्षा के प्रति उपेक्षा स्पष्ट है।[4] गरीबी और अशिक्षा से हमारी स्वास्थ पूर्ण रूपेण प्रभावित है। अच्छे स्वास्थ के अभाव में दलित अस्मिता को रेखांकित नहीं किया जा सकता। स्वास्थय ही धन है। विश्व की विकास सूचकांक पर भारत का स्थान 100वें मे से 62वें स्थान पर है। पिछड़ने का मुख्य कारण समन्वय का अभाव है। भारत विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, बोलि, सभ्यता एवं संस्कार, सामाजिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक परिस्थितियों वाला देश है। अनेकता में एकता की बात जरूर कही जाती है, पर यह वास्तविकताओं से परे है। एक टेलिविजन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से 2017 के बीच महज ही इन तीन सालों में 194 प्रतिठित वैज्ञानिक, इन्जीनियर, डॉक्टर.... आदि भारतीय प्रतिभा विदेशों में पलायन कर गये हैं या फिर धार्मिक विद्वेशवश हत्या कर दिया गया है।[5] कारण स्पष्ट है कर्तव्य स्थान पर भेदभाव अब भी होता है। सर्वप्रमुख कारण है राजनीतिक नेतृत्व का दूलमूल रवैया। वोट बैंक की राजनीति। इन्हे भारतीय विकास की चिंता नामात्र होती है जबकी सत्ता उपभोग के लिए लालायित होते हैं। सभी नीति–कुनीति इसी दृष्टिकोण पर केन्द्रीत होती है। जिसमें आरोप प्रत्यारोप ज्यादा और समन्वय का अभाव होता है। भारतीय संसद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।[6] यह मानवता के विपरीत है। मानवता को कैसे बचाया जाये। दलित अस्मिता इसके अंदर ही है। यहीं समय की मांग है। यहीं सर्वप्रमुख चुनौतियां हैं।

भारत में दलित अस्मिता पर अनेक घटनाओं ने प्रष्न चिन्ह लगाये है। इन्ही में से एक हैदराबाद विष्वविद्यालय में पिछले वर्ष घटित रोहित वेमुला आत्महत्या काण्ट काफी चर्चित रहा। चूँकि रोहित वेमुला उक्त विष्वविद्यालय में अध्ययनरत शोधछात्र था। जिसने जातिगत प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर लिया था, जबकि वह प्रतिभाषाली विद्यार्थी था।

दलित अस्मिता की कड़ी में महाराष्ट्र की नागपुर के शनिदेव मंदीर में प्रवेष के अधिकार के लिए दलित महिलाओं द्वारा आन्दोलन चलाया गया। आधुनिक समाज में भी दलित मन्दिरों में प्रवेष के अधिकार पाने के लिए आन्दोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर है।

दिल्ली विष्वविद्यालय में भी पिछले ही वर्ष दलित विद्यार्थीयों द्वारा जोरदार अन्दोलन किया गया था। इस अन्दोलन के दलित नेता कन्हैया कुमार थे। वही विष्व की सौ टॉप विष्वविद्यालय में सामिल एवं भारत की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था में सामिल पंडित जवाहर लाल नेहरु विष्वविद्यालय नईदिल्ली पर भी मार्क्सवादी विचारधारा का पक्ष पोषण करने का आरोप –प्रत्यारोप लगते रहते है। चूँकि उक्त विष्वविद्यालय अपनी विचार बेबाकी से रखते है यही बात रुढ़िवादी लोगो को पसन्द नहीं आती । उक्त विष्वविद्यालय को राष्ट्र एवं लोकतंत्र विरोधि विचारधारा होने का आरोप भी मढ़ते है जो कि गलत है।

गुजरात में आरक्षण के अधिकार के लिए चलाया जा रहा पाट्टीदार आन्दोलन दलित अस्मिता के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। यह पिछड़ा वर्ग का आन्दोलन है, जो कि ऊपर के तीन अभिजात वर्गो के बाद दलित में ही गिना जाता है। इसके नेता हार्दिक पटेल अपनी आरक्षण के लिए संघर्षरत है। गुजरात में ही जिगनेष मेवाणी के नेतृत्व में दलित आन्दोलन भी अपनी अस्मिता के लिए आन्दोलनरत है।

भारत के सबसे बड़ी प्रांत जिनका भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि में केन्द्रीय भूमिका होती है – उत्तर प्रदेष है। उत्तर प्रदेष में भी जाट आन्दोलन के रुप में दलित अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे है।

दलित अस्मिता के लिए उड़ीसा का दानीमाझव द्वारा अपनी संबंधी के शव को कन्धे में उठाकर दाह संस्कार के लिए हास्पिटल से घर ले जाना मानवता एवं दलित अस्मिता के लिए अपने आप में शर्मसार कर देने वाली एक अनुठा उदाहरण है।

पष्चिम बंगाल का नमो बुद्धाय आन्दोलन एवं केरल में पेरियार आन्दोलन, बिहार में लठैत दल आदि दलित अस्मिता के लिए अन्य उदाहरण है।

हाल ही में दो अप्रेल 2018 को दलित जिसमें मुख्यतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति भारत बन्द के लिए लामबंन्द हुए है जिसका कारण भी दलित अस्मिता की लड़ाई है। मुख्य कारण यह है कि ड़ॉ. सुभाष काषीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले (क्रिमिनल अपिल नं. 416/2018) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न रोकथाम कानून 1989 को लेकर 20 मार्च 2018 को जो दिषा निर्देष जारी किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पुलिस में 2016 में की गयी षिकायतों का एक आकड़ा और उसके नतीजों का हवाला दिया है कि दलितों के उत्पीड़न का कुल मामलो में 5347 मामले और आदिवासीयों के उत्पीड़न की षिकायतों के मामलों में 912 षिकायते झुठि पायी गयी है। 2015 में 15638 मुकदमों में 11024 मुकदमो में सजा नही हुई है या आरोप मुक्त कर दिया गया है। 495 मामले वापस ले लिये गये, लेकिन 4119 मामलो में सजा हुई।

अपने फैसले में मामनीय कोर्ट ने कहा है कि 1989 का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एक्ट के तहत कार्यवाही के लिए अब यदि आरोपी सरकारी सेवक है तो संस्था प्रमुख/ नियोक्ता की लिखित अनुमती लेना अनिवार्य होगा, यदि आरोपी गैर सरकारी सेवक है तो कार्यवाही के लिए एस.डी.एम. रैक का कोई जिम्मेदार अधिकारी का प्रदान किया गया लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अर्थात आरोप कितना सत्य है यह कार्यवाही से पूर्व प्रमाणित किया जाये। साथ ही उक्त एक्ट को गैर जमानती से अब अग्रीम जमानती बना दिया गया है। 11

इन तथ्यों की व्याख्या इस रुप में की जा सकती है कि इन वर्षो में दलितो और आदिवासियों के उत्पीड़न के खिलाफ कार्यवाही के मामलो में सत्ता का तन्त्र ढ़ीला पड़ा है या फिर यह तत्कालीन समाजिक – राजनीतिक लामबन्दी के आगे झुका हुआ है। यह आकड़े षिकायतों के फर्जी होने से ज्यादा सत्ता की मषीनरी पर सवाल खड़ी करती है लेकिन तथाकथित तथ्य यह दिखती है कि जिस तरह से सुप्रीमकोर्ट ने जिन आकड़ों की उसी तरह से सरकार के वकील की दलिले भी उन व्याख्याओं को मजबूत करने में मदद पहुचाई है। सरकारी वकील ने भी कहा की 2015 के 75 प्रतिषत मामलों में आरोपियों को दोष मुक्त कर दीया गया है या केष वापस ले लिया गया। 15–16 प्रतिषत मामलो में पुलिस अधिकारीयों ने मुकदमे को बन्द करने की रिपोर्ट पेष की। [12]

दरअसल इस तरह के फैसले असुरक्षा की भावना को और तेज करते है। दलित उत्पीड़न कानून को ही जातिवाद बढ़ाने वाले कानून के रुप में देखा गया है जबकि यह दलित उत्पीड़न के विरुद्ध कानून के रुप में सामने आया है

भारत का सुप्रीमकोर्ट एक शीर्षस्र्थ संविधानिक संस्था है इनका निर्णय स्वागत योग्य है। लेकिन तथ्यों को जिस ढ़ंग से कोर्ट में पेष किया गया है वह दलित अस्मिता के लिए प्रष्न खड़ी करता है। इस प्रकार हम देखते है कि भारत में दलित

अस्मिता किस हद तक प्रभावित है। दलित अस्मिता को पुर्नस्थापित करना वर्तमान समय की भारत में सबसे बड़ी चुनौतियाँ है।

2 अप्रेल 2018 को एस.सी./एस.टी. कानून में बदलाव के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध दलित आन्दोलन का भारत में ब्यापक प्रभाव देखने को मिला।

लगभग सम्पूर्ण भारत इससे झुलस गया। कुछ हिंसक घटनाए जैसे–आगजनीत, हत्या,बस व रेलसेवा बाधित करना आदि निन्दनीय कार्य भी हुए। एक तरह से इस आन्दोलन के माध्यम से दलितो के मन में सरकार के प्रति तीव्र आक्रोष भी देखने को मिला। इस पर राजनीतिक नेतृत्व पर पदासीन वरिष्ठ व्यक्तित्व द्वारा निम्न प्रतिक्रियाएं व्यक्त किया गया–

'' दलितो का यह व्यथा जो आज आन्दोलन के रुप में फूट पड़ा है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक के दलित विरोधि नीति एवं षड़यन्त्र का फल है। राजनीतिक सत्ता में न होते हुए भी बहुजन समाज पार्टी हक की लड़ाई लड़ने में, आन्दोलन चलाने में सक्षम है '' – **सुश्री बहन मायावती** , राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी , दिनाँक 2 अप्रेल 2018 ,टी.वी. रिपोर्ट जीन्यूज

'' भारतीय जनता पार्टी एवं आर.एस.एस. दलितो को सबसे नीचे पायदान पर रखते है। इनकी दलित विरोधि नीति उजागर हुई है। यह शर्मनाक है। जनता इसे माफ नहीं करेंगी।'' **श्री राहुल गाँधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष**, राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी ,नईदिल्ली दिनाँक 2 अप्रेल 2018,न्यूज चैनल आजतक

'' कुछ भी हो बिना समनवय के भारत की एकता, अखण्ता को स्थापित एवं स्थायित्व प्रदान नहीं की जा सकती। दलितो का यह हिंसक आन्दोलन स्वीकार्य नहीं है। लेकिन यह भी है कि भारत के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व कर्ता को दलितो के संरक्षण,सवर्धन एवं सुरक्षा से संबंधीत संवैधानीक प्रदत्त उक्त मुल ढ़ाँचे को ध्यान में रखना चाहिए।''– **श्री प्रकाषचन्द्र होता , चीफएडीटर,** न्यूज 18 चैनल (इ.टी.वी.) चैनल मध्यप्रदेष छ.ग., दिनाँक 2 अप्रेल 2018

'' सुप्रीमकोर्ट मे मोदी सरकार ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका – उक्त एक्त को लेकर हाल ही में सुप्रीमकोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे हम सहमत नहीं है। भाजपा की सरकार हमेषा से ही एस.सी./एस.टी. वर्गो का शुभ चिन्तक है। उक्त वर्गो के संरक्षण एवं सुरक्षा के प्रति प्रतिबंद्ध है। इस फैसला से तुरंत होने वाली गिरफ्तारी और मामले दर्ज किये जाने को प्रतिबंधित करने का सुप्रीमकोर्ट का आदेष इस कानून को कमजोर करेगा जो कि हमे मंजूर नहीं है।''– **श्री रविषंकर प्रसाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री,** भारत सरकार नईदिल्ली , 2 अप्रेल 2018 टी.वी. बुलेटिन

'' भारत की सरकार दलितो के हित का शुभ चिंतक है इसीलिए सुप्रीमकोर्ट के उक्त फैसले के बाद महज ही आठ दिन के अंदर जिसमें तीन दिन सरकारी अवकाष रहा था, माननीय कोर्ट में पुर्नविचार याचिका मंगलवार आज दिनाँक 2 अप्रेल 2018 को प्रस्तुत कर दिया गया है। दलित भाईयों से शांति बनाये रखने की अपील करते है।''– **श्रीरामविलास पासवान**, वरिष्ठ दलित नेता भाजपा ,नईदिल्ली।

मानवता भारत में ही खराब होती जा रही हैं ऐसी बात नहीं है, बल्की विश्वजगत में भी इसकी साख लगातार नीचे गिरती जा रही है। वर्ष 2012 से लेकर अब तक म्यानमार की रसाइन प्रदेश में अल्पसंख्यक मुसलमान रोहग्या संप्रदाय, जिसे वहां की बौध्दिट मूलनिवासी शरणार्थी बोलकर खदेड़ दिया गया। जो शरण प्राप्त करने के लिए हिन्द महासागर में भटकते हुए पुरे परिवार औरतों, मासुम बच्चों सहित लाखों की संख्या में मृत पाये गये हैं। यह किस प्रकार कि मानवता है ? जहां गांधी वादी नेता ऑग–सौग–सू–की राष्ट्रपति थी। जिससे अब पद छीन लीया गया है। क्योंकि वे कर्तव्यपालन में विफल हुई थी। मानवता तार–तार हुई है।

निष्कर्ष :–

सभ्यता की एकता एकरूपता में नहीं बल्की सामंजस्य में खोजनी चाहिए। लोगों के दिलों में एक दुसरे के प्रति सम्मान की भावना नहीं होगी, तब तक समन्वय कायम नहीं हो सकेगा। पर यह भावना आयेगी कैसे ? राजनीतिक पृष्ठभूमि जिसमें सारे नीति निर्धारित होती है, मानव मूल्यों पर आधारित होनी चालिए। हमारी राष्ट्रीय प्रणेताओं की परिकल्पनाओं की मुख्य विशेषताएँ क्या थी ? वे मूल्य और आधुनिक आदर्श, जिसको आधार बनाकर हमारी राष्ट्रीय आंदोलन को खड़ा किया गया था वह राजनीतिक परिकल्पना लोकतांत्रिक, नागरिक स्वतंत्रता वाले धर्म–निरपेक्ष भारत की थी। जिसका आधार आत्मनिर्भरता, समतावादी समाज व्यवस्था और स्वतंत्र विदेश नीति की थी। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने भी संविधानिक अधिकार प्रदान कर उक्त परिकल्पना को सकार करने का प्रयास किया। इसी उद्देश्य को लेकर महामानव ज्योतिराव फूले एवं उसकी धर्मपत्नि श्रीमती सावित्री फूले ने भी दलित अस्मिता के लिए इतनी बड़ी आंदोलन खड़ा किया।[9] इन महापुरूषों के संघर्ष और अमूल्य बलिदान का ही प्रतिफल है कि आज हम खुली हवा में सम्मान के साथ सांस ले पा रहे हैं। पर आज भी सामाजिक धर्मिक विद्वेश मिट नहीं सका है। क्योंकि कोई भी कानून लोगों के दिलों पर लागू नहीं किया जा सकता, हम उन्हे मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, जब तक वे स्वयं आत्मसात नहीं करे। दलित अस्मिता के लिए यहीं सबसे बड़ी चुनौति है कि लोगों के दिलों को कैसे जीता जाये, जबकि वे हमें अपनाना हीी नहीं चाहते। तब हमें लोकतांत्रिक मूल्यों पर ध्यान देना चाहिए और एकता की ताकत के लिए संगठीत होना चालिए। साथ ही एक सुस्पष्ट राजनीतिक नीति निर्धारित कर उसे प्राप्त करने की भरस्क प्रयास करनी चाहिए। तभी बाबासाहेब का वह सपना जिसमें कहा था कि शिक्षित बनो, संगठीत रहो और संघर्ष करो, सफल हो पायेगा। राजनीतिक अधिकार ही एकमात्र उद्देश्य होनी चाहिए। दलित अस्मिता को तभी रेखांकित कर पायेगें। विडम्बना यह है कि वर्तमान में दलित शब्द का तात्पर्य सिर्फ अनुसूचित जाति से लगाया जाता है जबकि हिन्दू वर्ण व्यवस्थ में ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य के अलावा अन्य सभी दलित वर्ग में शामिल है। किन्तु अनुसूचित जाति के अलावा अन्य अपने को सम्भ्रांत मानने लगे हैं। तात्पर्य है कि अनुसूचित जाति को ही दलित में गिने जाने लगा है। जोकि गलत है, लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यका है। दलित अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग.. सभी मूलनिवासीयों के लिए अर्तनिहीत भावार्थ में समझनी चाहिए।

भारत की एकता में यह कुत्सित वर्ण व्यवस्था सबसे बड़ी बाधा है। इसे मिटाने की आवश्यकता है।

जय हिन्द.

संदर्भ सूची

1. तिवारी, विनोद, 'भारतरत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर', मनोज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, दसवां संस्करण – 2016, पृष्ठ संख्या : प्रकाशकीय (04)
2. अग्निहोत्री, वी.के. 'भारतीय इतिहास', एलाइड पब्लिकेषन्स, नई दिल्ली, अष्ठम संस्करण, –2003, पृष्ठ अ – 121,122
3. स्वयं का मौलिक चिंतन
4. महेश्वरी, स्व.रामगोपाल, 'नवभारत, दैनिक समाचारपत्र, जिला रायपुर, दिनांक 02 फरवरी 2018, पृष्ठ : प्रथम, बजट–2018–19 विशेष
5. दैनिक 24 घण्टे समाचार चैनल 'जीन्यूज' : एक विशेष बुलेटिन प्रसारण दिनांक : 15 जनवरी 2018
6. लोकसभा एवं राज्यसभा टेलीविजेन समाचार चैनल : शीतकालीन सत्र एवं बजट सत्र, वर्ष 2017–2018
7. दैनिक 24 समाचार टेलिविजन चैनल : आज तक : दिनांक 10 जनवरी 2018
8. चन्द, विपिन, 'भारत का स्वतंत्रता संघर्ष', हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पुर्नर्मुद्रण–1998 पृष्ठ : संपादकीय

9. जगत. प्रो.डी.एस 'व्याख्यान,' छ.ग. महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) एवं साक्षत्कार, दिनांक 05 सितम्बर 2017
10. स्वयं का मौलिक चिंतन
11. स्वर्गीय श्री रामगोपाल माहेष्वरी , संस्थापक, 'नवभारत ', दैनिक समाचार पत्र, जिला– रायपुर, सम्पादकीय श्री अनिल चमड़िया, वरिष्ठ पत्रकार, दिनाँक 29 मार्च 2018
12. दीनूराम राणा, 'दलित उत्थान और महात्मा ज्योतिराव फुले ',माइण्ड एड सोसायटी , शोध जनरल राजनांदगांव मे प्रकाषीत आलेख वाल्यूम 01, नम्बर 1 वर्ष जनवरी – मार्च 2013 पृष्ठ 81–85